न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 83/17 (वाद)
GCMS No. : 2017/00016

1. श्री भेरूसिंह मुतबन्ना एकलिंगसिंह राणावत राजपूत निवासी सनवाड तहसील मावली।

1/1 श्रीमती रतनकुंवर पत्नी भेरूसिंह राणावत निवासी सनवाड तहसील मावली।

1/2 श्री अभयसिंह पिता भेरूसिंह राणावत निवासी सनवाड तहसील मावली।

1/3 श्री महेन्द्रसिंह पिता भेरूसिंह राणावत निवासी सनवाड तहसील मावली।

1/4 श्रीमती रमाकुंवर पिता भेरूसिंह पत्नी जितेन्द्रसिंह झाला राजपूत निवासी भीयाणा तह. बडीसादडी।

1/5 श्रीमती कमलेश कुंवर पिता भेरूसिंह पत्नी हिम्मतसिंह राजपूत निवासी पटाडी मध्यप्रदेश।

1/6 श्रीमती निर्मलकुंवर पिता भेरूसिंह पत्नी अमरसिंह चौहान राजपूत निवासी सरेडी तहसील लसाडिया।

...........वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती कृष्णाकुंवर पुत्री एकलिंगसिंह पत्नी अजीतसिंह झाला राजपूत निवासी कारून्दा तहसील छोटी सादडी जिला चित्तौडगढ।
2. श्री देवा पिता नेणा भील निवासी सनवाड तहसील मावली।
3. श्री नाथु पिता नारीया भील निवासी जालमपुरा तहसील मावली।
4. श्री रविन्द्र उर्फ रवी पिता धनराज सोनी निवासी मोती चौहट्टा उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादी।
2. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, प्रतिवादी संख्या 1

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 10.02.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व [illegible]वाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी [illegible] 2567, 3800, 3872, 5339 किता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के नाम 96/686 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 एवं खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह के नाम पर 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 250/686 हिस्सानुसार अंकित है। खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वारिस मैं वादी हूं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 343, 344, 345 किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह के नाम पर स्वतन्त्र रूप से अंकित है। खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वारिस मै वादी हूं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 2592 रकबा 5 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 एवं खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह के नाम पर 1/4 हिस्सा, खातेदार नेणा पिता जीवा के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/4 हिस्सानुसार अंकित है। खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वारिस मै वादी हूं तथा खातेदार नेणा का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 2 हैं।

2. यह कि एकलिंगसिंह जी के दो पत्नी प्रेमकुंवर एवं केसरकुंवर थी तथा इनके कोई संतान नहीं होने से एकलिंगसिंह ने उनके जीवनकाल में ही मुझ वादी को सामाजिक रितिरिवाजानुसार मेरे प्राकृतिक माता पिता से गोद ले लिया था तथा गोद जाने के पश्चात् से ही मै वादी अपने दत्तक माता पिता के साथ निवास कर उनकी सेवा चाकरी करता आ रहा था। श्री एकलिंगसिंह जी एवं केसरकुंवर का निधन लम्बे अरर्से पूर्व हो चुका है तथा प्रेमकुंवर का देहावसान दिनांक 23.06.2016 को हो चुका हैं। मैं वादी अपने दत्तक माता पिता की कुलिया चल व अचल सम्पति पर बहैसियत पुत्र काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से उनके जीवनकाल से काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करता आ रहा हूं तथा मुझ वादी ने अपने दत्तक पिता एकलिंगसिंह एवं माता केसरकुंवर–प्रेमकुंवर के मरणोपरान्त उनके समस्त सामाजिक क्रियाकर्म पुत्र की हैसियत से निष्पादित किये है और आज भी अपने दत्तक माता पिता की सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वह्न करता आ रहा हूं।

3. यह कि स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी द्वारा मुझ वादी को सामाजिक रितिरिवाजानुसार समाज, परिवार एवं रिश्तेदारों की मौजूदगी में गोद लिया है, मुझ वादी के लेहरीया बंधवाया और गुड धनिया बंटवाया गया [illegible]क 07.07.1958 को एकलिंगसिंह जी ने मुझ वादी के पक्ष में अपनी पारिवारिक [illegible]ही में गोदनामा लिखवा गवाहो की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

मौजूदगी में अपने दस्तखत कर गवाहो की साखे लगवा दी। जिससे मैं वादी स्व. एकलिंगसिंह एवं माता केसरकुंवर–प्रेमकुंवर का दत्तक पुत्र हू और उनकी समस्त जायदाद पर भी मैं वादी दत्तक पुत्र होने से अकेला ही काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं तथा स्वंय मृतक खातेदार प्रेमकुंवर ने भी मुझ वादी को अपना दत्तक पुत्र होने से दिनांक 05.08.97 को एक अधिकार पत्र भी स्टाम्प कीमती 20/– रूपया पर मुझ वादी के पक्ष में लिखकर दिया था तथा उक्त अधिकार पत्र में मेरे को स्व. प्रेमकुंवर ने मेरे अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 जिसका प्रेमकुंवर की जायदाद में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं होने के उपरान्त भी अनाधिकार रूप से राजस्व अधिकारियों से साठ गांठ कर प्रेमकुंवर की कृषि भूमि में विरासत के आधार पर अपना नाम भी अंकित करवाने पर आमादा हो रही है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमकुंवर की वारिस नहीं है। इसलिए मैं वादी वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अपनी दत्तक माता प्रेमकुंवर के नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा भूमि को अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकित कराने का अधिकारी हूं।

4. यह कि मुझ वादी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि स्व. एकलिंगसिंह एवं केसरकुंवर–प्रेमकुंवर का मैं वादी दत्तक पुत्र होकर एकमात्र विधिक वारिसान होकर उत्तराधिकारी है और उनकी चल अचल सम्पति पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं तथा केसरकुंवर एवं एकलिंगसिंह के देहावसान के बाद इनकी खातेदारी की कुलिया जमीन भी विरासत से मुझ वादी के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित हो चुकी है जिस पर मैं वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं तथा वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में मेरी दत्तक माता प्रेमकुंवर के नाम अंकित भूमि पर भी मैं वादी ही काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार कब्जा भुगत भोग कुछ भी नहीं रहा है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लोभ लालच की भावना पैदा हो जाने से वह मेरी दत्तक माता के नाम अंकित भूमि को भी विरासत से अपने नाम पर अंकित उसे खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रही है और नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रही है और प्रतिवादी संख्या 1 धमकीया भी दे रही है कि वो इस जमीन को किसी भी तरीके से अपने नाम पर कराकर खुर्द बुर्द करके ही दम लेगी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। मैं वादी एकलिंगसिंह एवं केसरकुंवर–प्रेमकुंवर का दत्तक पुत्र हूं [illegible] सभी के देहावसान के बाद होने वाले

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

समस्त सामाजिक क्रियाकर्म–कार्यक्रम भी मुझ वादी द्वारा ही किये गये है और आज भी दत्तक पुत्र की हैसियत से पारिवारिक जिम्मेदारीयों का निर्वह्न करता आ रहा हूं तथा इनकी समस्त चल अचल सम्पति पर दत्तक पुत्र की हैसियत तन्हा रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमियों में खातेदार प्रेमकुंवर के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 विरासत के आधार पर अपना नाम दर्ज नहीं करावे और प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, मुझ वादी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से वादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी वादी के पक्ष में हैं।

5. यह कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 12.04.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने मुझ वादी की दत्तक माता स्वर्गीय प्रेमकुंवर के नाम दर्ज भूमि को विरासत के आधार पर उसके नाम पर दर्ज कराने एवं खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित भूमि में खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह के नाम दर्ज कुलिया कृषि भूमि का मुझ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार मुझ वादी का नाम खातेदार काश्तकार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराये जाने की डिक्री जारी फरमाई जावे। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र में वर्णित भूमि में अपना नाम विरासत से दर्ज नहीं करावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

रखें। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के समक्ष पेश करे तो ताफैसला वाद उसका पंजीयन नहीं करे एवं राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात वादी की ना होकर प्रतिवादी संख्या 1 की है राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम 93/686 हक हिस्सा अंकित किया गया वह गलत होने से अस्वीकार है उक्त वर्णित आराजीयात के पूर्व खातेदार एकलिंगसिंह जी थे एवं उनके स्वर्गवास के बाद प्रेमकुंवर एवं केसरकुंवर के नाम से अंकित हुई थी इसी तरह परिशिष्ट ब में अंकित आराजीयात प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह जी के नाम से अंकित होना भी स्वीकार हैं। प्रेमकुंवर का स्वर्गवास होना स्वीकार है किन्तु उनका वारिस वादी ना होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णाकुंवर है नकल जमाबन्दी में जो नाम भेरूसिंह ने अपने नाम अंकित कराई वह प्रतिवादी संख्या 1 को बिना सुने गलत तरीके से अंकित कराई गई जो अस्वीकार हैं। इसी तरह परिशिष्ट स में अंकित आराजीयात में वादी का कोई 1/4 हक हिस्सा नहीं है वादी ने गलत फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करा लिया जो अस्वीकार है सही हालात आगे विशेष कथन में अंकित किया जावेगा उक्त वर्णित आराजीयात एकलिंगसिंह जी के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित थी एवं उनके स्वर्गवास के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रेमकुंवर एवं केसरकुंवर की होकर साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 की है एकलिंगसिंह जी के 2 पत्नीया का होना स्वीकार होकर प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमकुंवर की जायन्दा पुत्री है ऐसी सुरत में कुलिया जायदाद की मालिक प्रतिवादी संख्या 1 है एकलिंगसिंह जी ने अपने जीवनकाल में समाजिक रितिरिवाज अनुसार वादी को कभी गोद नहीं लिया और ना ही वादी दत्तकपुत्र है और ना ही वादी ने किसी की सेवा चाकरी की है एकलिंगसिंह जी और केसरकुंवर का निधन होना लम्बे अरसे पूर्व होना स्वीकार है तथा प्रेमकुंवर का देहावसान दिनांक 23.06.2016 को होना स्वीकार है वादी ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर उपर वर्णित आराजीयात अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करा अन्य को विक्रय कर दी विक्रय पत्र भी वादी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अन्य को हस्तान्तरण कराया है ऐसी सुरत में उक्त विक्रय पत्र भी प्रतिवादी संख्या 1 के हितो के मुकाबले नल एण्ड वोईड शून्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

8. वादी एकलिंगसिंह जी का कोई दत्तक पुत्र नहीं है और ना ही चल अचल सम्पति का मालिक है ना ही कभी वादी ने उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पर काश्त की है और ना ही वादी ने एकलिंगसिंह जी एवं केसरकुंवर, प्रेमकुंवर के मरणोंपरान्त उनके समस्त सामाजिक क्रियाकर्म वादी ने पुत्र की हैसियत से नहीं किये है सभी तथ्य वादी ने अपने वाद पत्र में गलत अंकित किये है वादी ने सामाजिक जिम्मेदारी का कोई निवर्हन नहीं किया है यहां तक कि प्रेमकुंवर के देहावसान के बाद उनके सामाजिक कार्यक्रम में जो उनके पीहर में किकया गया वादी उपस्थित भी नहीं हुआ। इससे भी स्पष्ट है कि वादी मात्र एकलिंगसिंह जी की जायदाद चल अचल सम्पति फर्जी दस्तावेज के आधार पर हडप करने एवं बय करने आमादा रहा हैं।
9. वादी ने जो दाद चाही गई है वह वादी किसी भी रूह से पाने का अधिकारी नहीं है और ना ही वादी कुलिया आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी नहीं है और ना ही राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकन कराने की डिक्री प्राप्त कराने का अधिकारी नहीं है। वादी प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का भी अधिकारी नहीं है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात का मालिक है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के ही कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है बकाया सभी तथ्य वादी ने गलत अंकित किये है वादी का वाद खारिज योग्य है साथ ही वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के तहत जो दाद चाही वादी पाने का अधिकारी नहीं है वादी का वाद उपर वर्णित जवाबदावा के आधार पर खारिज योग्य है।
10. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की माता प्रेमकुंवर का स्वर्गवास दिनांक 23.06.16 को होकर उनका समस्त सामाजिक क्रियाकर्म प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया प्रतिवादी संख्या 1 को इन सभी फर्जी दस्तावेज जो वादी ने एकलिंगसिंह जी एवं केसरकुंवर के स्वर्गवास के बाद तैयार किये एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर राजस्व अधिकारी से मिलकर राजस्व अभिलेख में वादी ने अपना नाम अंकित कराया जो गलत है एवं वादी ऐसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोई दाद पाने का अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने सभी दस्तावेज की नकले प्राप्त कर नामान्तरण संख्या 266 दिनांक 11.12.76 एवं नामान्तरकरण संख्या 2559 दिनांक 10.12.2002 में फर्जी दस्तावेज के आधार पर वादी ने अपने नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करा लिया। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने एक अपील माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajnesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर के यहां पेश कि जिसके प्रकरण संख्या 44/16 होकर वादी को सूचित किया जाकर दोनो पक्षों की सुनवाई की जाकर दिनांक 20.11.17 को निर्णय किया जाकर दोनो नामान्तरकरण को निरस्त कर दिये गये इसकी जानकारी वादी को थी। वादी को अपील की जानकारी होते हुए भी वादी ने माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश कर साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली यानि की प्रतिवादी संख्या 1 को 17–18 माह तक इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई केवल मात्र वादी एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर अपने घर जाकर बैठ गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 को कोई सूचना नहीं दी गई। वादी ने अपना वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया एवं सम्पूर्ण वाद एवं प्रार्थना पत्र में गोद के आधार पर आये जबकि वादी ने एक वाद पूर्व में माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय कनिष्ट खण्ड मावली जिला उदयपुर के यहां घोषित किये जाने गोदीना पुत्र एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। उक्त वाद से भी स्पष्ट है कि वादी गोदपुत्र ना होकर न्यायालय द्वारा गोदपुत्र की डिक्री चाहता है किन्तु न्यायालय द्वारा उक्त वाद को सुना जाकर जिसके प्रकरण संख्या 45/07 होकर दिनांक 14.10.11 को मुल वाद ही वादी को लोटा दिया गया उक्त वाद में भी अंकित तथ्यों के आधार पर भी केवल मात्र फर्जी दस्तावेज के आधार पर गोदपुत्र की डिक्री चाहता था व माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित न्यायालय में वाद पेश ना कर उक्त नया वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया जो काबिले खारिज योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत समस्त चल अचल सम्पति की मालिक होकर प्रतिवादी संख्या 1 के आधिपत्य एवं स्वामित्व में चली आ रही हैं। वादग्रस्त जायदाद के सम्बन्ध में माननीय जिलाधीश महोदय उदयपुर द्वारा दोनो ही नामान्तरण निरस्त कर दिये गये है ऐसी सूरत में वादी अब किसी भी रूह से टिनेन्ट नहीं रहा है एवं वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी चलने योग्य नहीं है काबिले खारिज योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि जवाबदावा के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए वादी का वाद विशेष हर्जाने के साथ सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी ने वाद पत्र में अंकित आराजीयात परिशिष्ट अ वाद में अंकित आराजीयात को अपने नाम घोषित कराने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Siryi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु इस आधार पर वाद पेश किया कि वादी एकलिंगसिंह का गोदीपुत्र है एवं गोदीपुत्र होने के आधार पर ही सम्पूर्ण आराजीयात जो वाद पत्र में अंकित है वादी की घोषित फरमाई जाने की दाद चाही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती कृष्णाकुंवर ने उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात जो वादी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 11.12.76 एवं नामान्तरकरण संख्या 2559 दिनांक 10.12.2002 से वादी के नाम अंकित हुई इसकी एक नामान्तरण की अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर के यहां पेश की जिसके प्रकरण संख्या 44/2016 होकर दिनांक 20.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित होकर दोनो ही नामान्तकरकरण निरस्त कर दिये जिसकी अपील वादी ने किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं की। वादी ने इसी दौरान दिनांक 13.04.17 को उक्त वर्णित वाद माननीय न्यायालय में गोदीपुत्र के आधार पर पेश कर दिया व अपील के निर्णय की अग्रीम कोई कार्यवाही वादी द्वारा नहीं की गई ऐसी सूरत में दिनांक 20.11.17 के बाद वादी का वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में कोई हक हिस्सा नहीं रहता है। वादी ने पूर्व में भी एक वाद सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड मावली में पेश किया था उक्त वाद वादी ने गोदनामा घोषित कराने हेतु पेश किया था जिसको न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के आधार पर वादी को लोटा दिया था जिसकी अग्रीम कार्यवाही भी वादी द्वारा कही पर नहीं की गई जिसके प्रकरण संख्या 45/2007 हैं। वादी ने इसी प्रकार एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा का गोदीपुत्र दर्शाते हुए माननीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के यहां पर पेश कर रखा है जो जेरेकार है व उसमें आगामी पेशी दिनांक 05.04.21 की नियत है वादी द्वारा पेशी गोदीपुत्र के दस्तावेज को उक्त वर्णित सिविल न्यायाधीश ने पंजीकृत ना होने के कारण गोदीपुत्र नहीं माना है चूंकि उक्त गोद पुत्र नामा रजिस्टर्ड दस्तावेज ना होकर एक फर्जी बही में अंकित किया हुआ पेश किया गया है जो कानुन एवं विधि से विपरित हैं।

12. यह कि विवादग्रस्त आराजीयात बाबत् माननीय न्यायालय में उक्त वाद जो पेश किया गया है वह घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है एवं मात्र गोदपुत्र बताते हुए पेश किया है जबकि माननीय जिलाधीश महोदय उदयपुर के नामान्तरण संख्या 266 व 2559 जिसमें पूर्व खातेदार का नाम एकलिंगसिंह पिता गोर्धनसिंह राजपूत अंकित था उनकी सम्पूर्ण आराजीयात में वादी ने अपना ना[illegible]त कराया जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दोनो ही उक्त नामान्तरकरण निरस्त [illegible] दिये जिस बाबत एक प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है ऐसी सूरत में वादी अब किसी भी दाद को पाने का अधिकारी नही हैं। वादी जब तक सिविल न्यायालय से गोदपुत्र होना साबित ना कराये तब तक उसे गोदीपुत्र नहीं माना जा सकता है एवं उक्त दस्तावेज के अभाव में वादी का उक्त वाद स्वत ही काबिले खारिज योग्य है वादी किसी भी प्रकार की कोई दाद पाने का अधिकारी नहीं है उक्त प्रार्थना की रूह से वादी का वाद काबिले खारिज योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के तथ्यो एवं दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद विशेष हर्जाने के साथ खारिज फरमाया जावें।

13. **वादी द्वारा प्रार्थना पत्र** आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के नाम पर खोले गये नामान्तरकरण निरस्त हो चुके है परन्तु वादी का हक हिस्सा समाप्त नहीं किया गया है माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी ने एकलिंगसिंह जी के वारिसान सही वारिसान का पता लगाकर उनके नाम पर नामान्तरकरण खोलेने के लिए तहसीलदार मावली को आदेश दिया गया है एवं वादी ने उक्त वाद वर्णित आराजीयात में वादी की गोदमाता स्व. श्रीमती प्रेमकुंवर के नाम पर दर्ज कृषि आराजीयात को अपने नाम घोषित किये जाने का वाद प्रस्तुत किया हैं। वादी एकलिंगसिंह जी का गोदपुत्र है जिसमें वादी को पुरा हक हिस्सा प्राप्त है एवं नामान्तरकरण की अपील से वादी के हक हिस्से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो रहे है इसलिए वादी ने कोई अपील पेश नहीं की है क्योंकि वादी गोदपुत्र के आधार पर स्व. एकलिंगसिंह जी व स्व. श्रीमती प्रेमकुंवर एवं श्रीमती केसरकुंवर का विधिक वारिस है एवं एक पुत्र की हैसियत से सभी हक हिस्से वादी के निहित है एवं यह सभी बिन्दू मात्र साक्ष्य से ही तय हो पायेगे।

14. वादी ने एक वाद सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड मावली में प्रस्तुत किया था जिसे क्षेत्राधिकार के आधार पर लौटा दिया था परन्तु चुंकि वादी को गोदनामा घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं होने से उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं की है एवं न ही प्रतिवादीयां ने उक्त गोदनामें को निरसत करवाने के लिए कोई कार्यवाही आज दिनांक तक ही की है बल्कि प्रतिवादी ने वादी का एक रिहायशी मकान (रावला) आबादी क्षेत्र सनवाड में स्थित है जिसे वादी की जानकारी के बिना बेचने का प्रयास किया गया जिसके लिए वादी माननीय सिविल न्यायालय मावली में स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अपील एवं इसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का जारी की गई जो निरन्तर जारी है एवं प्रतिवादीया श्रीमती कृष्णाकुंवर द्वारा उक्त रिहायशी मकान (रावला) को बेचान कर रजिस्ट्री कार्यवाही की गई जिसमें क्रेता पक्षकार द्वारा प्रतिवादीया के विरूद्व ईकरार की पालना का एक वाद माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम सं. 1 उदयपुर कैम्प मावली में विचाराधीन है जिसमें भी वादी द्वारा पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होकर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही पर स्थगन प्राप्त हो चुका हैं।

15. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र जेरकार्यवाही है एवं वादी की साक्ष्य में नियत है जिसमें प्रतिवादीया द्वारा गोदनामा को अनरजिस्टर्ड अनस्टाम्प होने से प्रदर्श करवाने के लिए आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय मावली द्वारा उक्त गोदनामा दस्तोवज को इम्पाउण्ड करने का ओदश प्रदान किया गया है एवं कलेक्टर साहब को प्रेषित कर आवश्यक शुल्क जमा करवाने के लिए निर्देश प्राप्त किये है एवं गोदनामा किसी भी तरह से फर्जी होकर सही एवं सत्य है एवं विधि अनुरूप है एवं उक्त गोदनामा प्रतिवादीया के जन्म से भी पूर्व में लिखा गया है एवं उक्त सभी तथ्य साक्ष्य से ही साबित किये जा सकते हैं। माननीय जिलाधीश महोदय जी ने नामान्तरकरण अवश्य निरस्त कर दिये परन्तु वादी के गोदपुत्र होने के सम्बन्ध में कही कोई टिप्पणी नहीं की है प्रतिवादीया ने सारे तथ्यों को तोड मरोड कर गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है वादी का एकलिंग सिंह जी एवं स्व. प्रेमकुंवर एवं स्व. केसरकुंवर जी की सम्पति में पूर्ण हक व हिस्सा है एवं इसी आधार पर नामान्तरकरण खोले जाकर वादी के नाम अंकित किये गये है प्रतिवादीया का प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं गलत तथ्यो पर आधारित होकर चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है एवं प्रतिवादीया द्वारा प्रस्तुत धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधान उक्त वाद में लागु नहीं होने से जिसका जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर दिया है जो कि बहस में नियत हैं।

16. यह कि वादी को गोद पुत्र घोषित करवाने कोई आवश्यकता नहीं है एवं प्रतिवादीया को यदि उक्त गोदनामें पर कोई आपत्ति है तो वो न्यायालय से उक्त गोदनामें को शुन्य घोषित करवाने की कार्यवाही करावे एवं उक्त गोदनामा सामाजिक रिति रिवाज अनुसार सही एवं सत्य है एवं वादी के सभी दस्तावेज भी अपने गोद पिता के नाम से ही बने हुए है एवं प्रतिवादीया की माता [illegible] ने वादी को अपना गोदपुत्र माना है प्रतिवादीया की नियत में फितूर आ जाने से [illegible] सम्पूर्ण सम्पति हडपने की नियत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त गोदनामें को फर्जी बता रही है बल्कि वादी स्वयं द्वारा प्रतिवादीया का पालन पोषण किया गया और विवाह आदि करवाया गया और सभी सामाजिक जिम्मेदारीया वादी द्वारा ही निर्वहन की गई प्रतिवादीया का उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की परिभाषा में नहीं आता है एवं प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के कौनसे सब क्लॉज में प्रस्तुत किया है यह भी स्पष्ट नहीं है केवल मात्र मामले को लम्बा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य हैं। प्रार्थना पत्र का कोई मूल्यांकन प्रतिवादीया द्वारा कायम नहीं किया गया है एवं न ही यह स्पष्ट किया गया है कि कितने मूल्यांकन पर कितनी कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया गया है जिससे भी प्रतिवादीया का उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का अस्वीकार कर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

17. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

18. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अ[illegible]टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तह. मावली के आराजी नम्बर 2567, 3800, 3872, 5339 किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के नाम 96/686 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 एवं खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह के नाम पर 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 250/686 हिस्सानुसार अंकित है, आराजी नम्बर 343, 344, 345 किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह के नाम पर स्वतन्त्र रूप से अंकित है एवं आराजी नम्बर 2592 रकबा 5 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 एवं खातेदार प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह के नाम पर 1/4 हिस्सा, खातेदार नेणा पिता जीवा के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/4 हिस्सानुसार अंकित है। उक्त प्रकरण में वाद मात्र खातेदार प्रेमकंवर बेवा एकलिंगसिंह के हिस्सा भूमि पर है। उक्त खातेदारी की भूमि पूर्व में एकलिंगसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। एकलिंगसिंह के फोत होने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम सनवाड के नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 11.12.1976 से श्री भेरूसिंह मु. एकलिंग, कृष्णाकुमारी पुत्री एकलिंग, केशरकुंवर, प्रेमकुंवर बेवा एकलिंगसिंह के नाम दर्ज हुई। केशरकुंवर बेवा एकलिंग की मृत्यु के पश्चात ग्राम सनवाड के नामान्तरकरण संख्या 2559 दिनांक 10.12.2002 से भेरूसिंह मुत. एकलिंगसिंह राजपूत के नाम दर्ज हुई। उक्त दोनों नामान्तरकरण की अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर के यहां की गई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर द्वारा 20.11.2017 को निर्णय पारित करते हुए ग्राम सनवाड के नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 11.12.1976 एवं नामान्तरण संख्या 2559 दिनांक 10.12.2002 को निरस्त कर दिये गये। वादी श्री भेरूसिंह द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) मावली जिला उदयपुर मे गोदिना पुत्र घोषित कराने हेतु पेश किया गया। [illegible] माननीय न्यायालय द्वारा वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन पर मालियत को न्यायोचित नहीं पाये जाने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वाद को लौटा दिया गया। दिनांक 13.04.2017 को गोदनामे के आधार पर वादी प्रेमकुंवर बेवा एकलिंग की सम्पत्ति में खातेदारी घोषणा करवाने हेतु दावा इस न्यायालय में पेश किया। गोदनामें के संबंध में वादी द्वारा एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किया। जिस पर अंकित है कि अणी की नकल ठिकाना का इकारार का चोपनियां में है

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1981 आर.आर.डी. पेज नम्बर 173 छोगा बनाम रामनाथ में भी स्पष्ट किया गया हैं कि जब इकरारनामा रजिस्ट्रीकृत नहीं था तो इससे वाद भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

न्यायिक दृष्टांत RRD May, 2001 का भी यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है :— Code of Civil Procedure, Order 7 Rule 11 read with Section 151- Revision against order of S.D.O.-Suit filed by plaintiff-non-petitioner on the basis of verbal will-Khatedar expired leaving behind four daughters who are rightful successors of the deceased khatedar 'A'-Provisions of verbal Will have been abolished in Indian Succession Act after 1.1.1927-Will should be in writing as per Section 63 of R.T. Act-Subordinate court has not given any reference in his order and unless plaintiffs get declaration about adoption from the Civil Court, trial court has no right to entertain suit for hearing-There is no provision to adopt two sons-Under Section 207, R.T. Act, suit is void by law-Directions issued to S.D.O.-Case remanded.

उरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि वादी को इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सक्षम न्यायालय से गोदीना पुत्र घोषित करवाना चाहिए था। माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) मावली, जिला उदयपुर द्वारा वादी को वादपत्र लौटा दिया गया था जिसे वादी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर गोदपुत्र घोषित करवाना चाहिए था जो वादी द्वारा नही करवाया गया और यदि वादी के पास गोदपुत्र से संबंधित कोई वास्तविक दस्तावेज था तो उसे तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर विरासत का नामान्तरकरण पारित करवाना चाहिए था, परन्तु ऐसा भी वादी द्वारा नही किया गया। इस प्रकार न्यायालय का विनम्र अभिमत हैं कि वादी को सक्षम न्यायालय से गोदीना पुत्र घोषित करवाकर नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण पारित करवाना चाहिए था। वादी का घोषणा का वाद अपंजीकृत इकरार गोदनामे के आधार पर है जो [illegible] न्यायालय में नही चल सकता। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार [illegible] का वाद [illegible] का वाद बार्ड बाय लॉ होने तथा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Puhadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री भेरूसिंह मुतबन्ना एकलिंगसिंह राणावत राजपूत निवासी सनवाड तहसील मावली।
1/1 श्रीमती रतनकुंवर पत्नी भेरूसिंह राणावत निवासी सनवाड तहसील मावली।
1/2 श्री अभयसिंह पिता भेरूसिंह राणावत निवासी सनवाड तहसील मावली।
1/3 श्री महेन्द्रसिंह पिता भेरूसिंह राणावत निवासी सनवाड तहसील मावली।
1/4 श्रीमती रमाकुंवर पिता भेरूसिंह पत्नी जितेन्द्रसिंह झाला राजपूत निवासी भीयाणा तह. बडीसादडी।
1/5 श्रीमती कमलेश कुंवर पिता भेरूसिंह पत्नी हिम्मतसिंह राजपूत निवासी पटाडी मध्यप्रदेश।
1/6 श्रीमती निर्मलकुंवर पिता भेरूसिंह पत्नी अमरसिंह चौहान राजपूत निवासी सरेडी तहसील लसाडिया। .....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती कृष्णाकुंवर पुत्री एकलिंगसिंह पत्नी अजीतसिंह झाला राजपूत निवासी कारून्दा तहसील छोटी सादडी जिला चित्तौडगढ।
2. श्री देवा पिता नेणा भील निवासी सनवाड तहसील मावली।
3. श्री नाथु पिता नारीया भील निवासी जालमपुरा तहसील मावली।
4. श्री रविन्द्र उर्फ रवी पिता धनराज सोनी निवासी मोती चौहट्टा उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 87/17 (वाद) GCMS No. : 2017/00016

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.02.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:18 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली